UPEW010019912010

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०अधिनियम)इटावा।

उपस्थितः आलोक कुमार श्रीवास्तव ....(एच.जे.एस.)

(J.O.Code UP1546)

विशेष वाद संख्या–74/2014

CNR NO–UPEW010019912010

विनोद सक्सेना पुत्र श्री जागेश्वर निवासी मोहल्ला शिवनरायन की मड़ैया, मकान नम्बर 223,परगना व जिला इटावा।

–––परिवादी।

प्रति

1. शीलू उर्फ सोमनाथ पुत्र अगनूमल
2. मुन्ना वर्मा पुत्र अगनूमल
3. पचहत्तर वर्मा पुत्र अगनूमल
4. श्रीमती देवी उर्फ फूलदुलारी पत्नी अगनूमल **(मृतका)**
   (आदेश दिनांकित 19.03.2026 के तहत उपशमित)
5. अगनूमल पुत्र स्व०लालाराम
   सर्व निवासीगण पुरबिया टोला,मकान नं०–128,पजाबा,थाना कोतवाली जिला इटावा।
6. वीरेन्द्र पुत्र रामनाथ,निवासी सुन्दरपर अड्डा,थाना कोतवाली,परगना व जिला इटावा।

––––अभियुक्तगण ।

J.O.Code UP1546

(Alok Kumar Srivastava)

Special Judge (DAA Act)Etawah.

Digitally signed by ALOK KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.04.23 16:53:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अन्तर्गत धारा–395 भा०द०संहिता।

थाना–कोतवाली, जिला–इटावा।

अपराध कारित करने की तिथि–27.09.2010

तलबी आदेश की तिथि–17.04.2017

आरोप विरचन की तिथि–07.03.2018

अधिवक्ता अभियोजनपक्ष–श्री गौरव दीक्षित

विशेष लोक अभियोजक (आपराधिक)

परिवादी की ओर से उपस्थित प्राइवेट अधिवक्ता

श्री विमल तिवारी।

अधिवक्ता प्रतिरक्षा पक्ष–श्री नईम अहमद।

– निर्णय –

1. परिवादी विनोद सक्सेना की ओर से प्रस्तुत परिवाद पर अभियुक्तगण शीलू उर्फ सोमनाथ,मुन्ना वर्मा,पचहत्तर वर्मा,श्रीमती देवी उर्फ फूलदुलारी,अगनूमल व वीरेन्द्र का धारा–395 भा०द०संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध में तलब कर विचारण किया गया।

2. यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि प्रकरण से संबंधित अभियक्ता श्रीमती देवी उर्फ फूलदुलारी की मृत्यु होने के परिणामस्वरूप उसके विरूद्ध वाद की कार्यवाही आदेश दिनांकित 19.03.2026 के तहत उपशमित की गयी।

3. संक्षेप में परिवादपत्र **(प्रदर्श क–1)** में वर्णित कथानक इस प्रकार है कि परिवादी विनोद सक्सेना द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156 (3)द०प्र०संहिता विपक्षीगण शीलू उर्फ सोमनाथ,मुन्ना वर्मा,पचहत्तर वर्मा, श्रीमती,अगनूमल व वीरेन्द्र के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश पारित

करने हेतु इन अभिकथनो के साथ दिया गया कि दिनांक 27.09.2010 समय करीब 7 बजे शाम विपक्षीगण एक राय होकर परिवादी के घर पर आये और बोले कि विनोद–विनोद दरवाजा खोलो तेरी बीबी बीमार है,अस्पताल में भर्ती है। उसने जल्दी दरवाजा खोला, दरवाजा खोलते ही विपक्षीगण उसके घर में घुस आये और उसको गाली गलौज करते हुए बोले कि साले तू अपनी बीबी मनोरमा को क्यों मेरे घर आने व मिलने से रोकता है। परिवादी ने कहा कि मनोरमा उसकी विवाहित पत्नी है और तीन बच्चे हैं और यदि गलत काम करेगी तो वह उसे रोकेगा,इससे उन लोगों को क्या लेना देना,तुम लोग न तो उसके रिश्तेदार हो और न उसकी जाति बिरादरी के हो,तुमको उससे क्या लेना देना है। इतना कहते ही विपक्षीगणों ने परिवादी को लात,घूसों,जूतो–चप्पलों से मारने पीटने लगे। वह चिल्लाया तो शीलू व वीरेन्द्र ने उसके मुंह में कपड़ा भर दिया। विपक्षीगणों ने उसको इतना मारा कि वह बेहोश हो गया और उसको खींचकर एक कमरे में बंद कर दिया और उसके बक्से में रखा हुआ जेबर एक जंजीर सोने की,एक अंगूठी व कान के बाला सोने के व 10,000/– रूपये(दस हजार रूपये) नगद बक्से का ताला तोड़कर निकाल ले गये। चलते समय कट्टा निकालकर धमकी दे गये कि साले कहीं थाने,अदालत गया तो जान से मार देंगे। उक्त घटना को राजवीर व वीरेन्द्र व मोहल्ले के तमाम लोगों ने देखा व सुना है,लेकिन विपक्षीगणों का आतंक होने के कारण मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति गवाही देने को तैयार नहीं है। विपक्षीगण आये दिन उसकी हत्या करने एवं उसकी पत्नी मनोरमा को जबरिया खींचकर ले जाने की कोशिश एवं धमकी देते रहते हैं। परिवादी ने उक्त घटना की सूचना उसने थाना कोतवाली एवं एस०एस०पी०इटावा को दिनांक 28.09.2010 प्रार्थनापत्र देकर दी है,लेकिन विपक्षीगणों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई,जिससे उनके होसले बढ़े हुए हैं,उनको न रोका गया तो कभी भी अनहोनी घटना घटित कर सकते हैं। थाना पुलिस कोतवाली द्वारा विपक्षीगणों के खिलाफ कोई कार्यवाही न होने के कारण न्यायालय की शरण

ली। इसके पश्चात एस०एस०पी०इटावा को रजिस्ट्री के माध्यम से स्पीड पोस्ट द्वारा दिनांक 29.09.2010 को सूचित किया। विवश होकर न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। विपक्षीगणों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की याचना की गयी ।

4. परिवादी विनोद कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156 (3)द०प्र०संहिता का निस्तारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.07.2011 के तहत करते हुए प्रकरण को परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया।

5. परिवादी की ओर से स्वयं का बयान धारा 200 द०प्र०संहिता में एवं समर्थन में धारा 202 द०प्र०संहिता में सी०डब्लू०–1 के रूप में वीरेन्द्र कुमार, सी०डब्लू०–2 राजवीर को परीक्षित कराया गया, जिसके आधार पर आदेश दिनांकित 17.04.2017 के अनुसार अभियुक्तगण वीरेन्द्र,शीलू, मुन्ना वर्मा,अगनूमल की पत्नी,अगनूमल व पचहत्तर वर्मा को धारा–395 भा० द० संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के सम्बन्ध में विचारण हेतु आहूत किया गया।

6. अभियुक्तगण के न्यायालय उपस्थित आने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 07.03.2018 को अभियुक्तगण शीलू वर्मा, मुन्ना वर्मा,पचहत्तर वर्मा,श्रीमती देवी,अगनूमल व वीरेन्द् के विरूद्ध धारा–395 भा०द०संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के सम्बन्ध में आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

7. अभियोजनपक्ष ने प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में पत्रावली पर संलग्न अभियोग पंजीयन हेतु निम्न प्रपत्रों को प्रस्तुत किया हैः–

1. **प्रदर्श क–1** परिवादपत्र (पी०डब्लू०–1 द्वारा साबित)
2. **प्रदर्श क–2** वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा को प्रेषित प्रार्थनापत्र (पी०डब्लू०–1 द्वारा साबित)
3. **प्रदर्श क–3** रसीद रजिस्ट्री (पी०डब्लू०–1 द्वारा साबित)

8. अभियोजनपक्ष की ओर से अपने कथानक के समर्थन में निम्न अभियोजन साक्षियों को परीक्षित कराया गया है–

पी०डब्लू०–1 विनोद (परिवादी)

पी०डब्लू०–2 राजवीर

पी०डब्लू०–3 वीरेन्द्र कुमार

9. अभियुक्तगण शीलू उर्फ सोमनाथ, मुन्ना वर्मा,पचहत्तर वर्मा,श्रीमती देवी,अगनूमल व वीरेन्द् के बयान अन्तर्गत धारा 313 द० प्र० संहिता अंकित किये गये,जिसमें उनके द्वारा घटना को गलत बताया गया तथा साक्षियों द्वारा गलत व झूठी गवाही देना बताया व अपने बचाव में सफाई साक्ष्य देने का कथन करते हुये विशेष कथन में अभियुक्तगण द्वारा यह कथन किया गया है कि वे निर्दोष हैं,वादी मुकदमा द्वारा सुनियोजित षडयंत्र रचकर,उन्हें कारण झूंठा फंसाया गया है। दौरान विचारण प्रकरण से संबंधित अभियक्ता श्रीमती देवी उर्फ फूलदुलारी की मृत्यु होने के परिणामस्वरूप उसके विरूद्ध वाद की कार्यवाही आदेश दिनांकित 19.03.2026 के तहत उपशमित की गयी।

10. अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता **श्री नईम अमद** द्वारा बहस के दौरान यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि परिवादी ने अपनी चोटों से खून निकलना बताया है,लेकिन इस बाबत कोई भी चिकित्सीय प्रपत्र अभियोजन के द्वारा दाखिल नहीं किया गया हे। साक्ष्य में यह आया है कि घटनास्थल के आसपास लोग थे,परन्तु उनमें से किसी को भी परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन के साक्ष्य में यह तथ्य आया है कि साक्षी पी०डब्लू०–1/वादी मुकदमा के मुँह में कपड़ा ठूसा गया था और वह अकेला था तो साक्षी पी०डब्लू०–2 ने शोर कैसे सुन लिया। साक्षी पी०डब्लू०–2 वादी के बहिनोई है और उनके द्वारा जो साक्ष्य दिया गया है वह विरोधाभासी है। अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है उससे साक्षी

पी०डब्लू०–1 वादी मुकदमा की पत्नी की उपस्थिति के बारे में विरोधाभासी साक्ष्य है। सभी गवाह अलग अलग कहानी बताते है। साक्षियों की साक्ष्य में विरोधाभास है। अभियोजन की ओर से जो साक्षी परीक्षित हुये है उनके बयानों में विरोधाभास है। अभियोजनपक्ष की ओर से जो साक्षी परीक्षित कराये गये है वे मामले को युक्तियक्त संदेह से परे साबित नहीं करते है,जिससे कि मामला संदेहास्पद है। अतः अभियुक्तगण संदेह का लाभ पाते हुये दोषमुक्त किये जाने योग्य है,ऐसी याचना की गयी है।

11. परिवादी की ओर से विद्वान प्राइवेट अधिवक्ता **श्री विमल तिवारी** द्वारा बहस के दौरान यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि बयान अन्तर्गत धारा–200 द०प्र०संहिता में वादी मुकदमा द्वारा सभी अभियुक्तों का नाम लिया गया है। अभियोजन की ओर से जो साक्षी परीक्षित हुये है उन्होंने घटना का समर्थन किया है। अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है उनसे अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होता है। अतः अभियुक्तगण दोषसिद्ध किये जाने योग्य है,ऐसी याचना की गयी है।

12. अभियोजनपक्ष की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक **श्री गौरव दीक्षित** द्वारा बहस के दौरान यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्षी के रूप में कुल तीन गवाह परीक्षित कराये गये है,इनमें से साक्षी पी०डब्लू०–1 विनोद सक्सेना स्वंय प्रकरण का परिवादी व पीड़ित है। पी०डब्लू० 2 राजवीर व पी०डब्लू० 3 वीरेन्द्र कुमार घटना के चक्षुदर्शी साक्षी है,जिनके द्वारा अपने साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। अभियुक्तगण के द्वारा घटना की तिथि दिनांकित 27.09.2010 को समय 07:00 बजे शाम परिवादी विनोद सक्सेना को लात,घूसों,जूता,चप्पलों से मारपीट कर कमरे में बंद कर दिया और कमरे में रखा हुआ जेवर सोने की एक जंजीर, सोने की एक अंगूठी व सोने के कान के बाला व दस हजार रूपये लूट कारित की गयी।

अभियोजन द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में प्रदर्श क–1 ता प्रदर्श क–3 को साबित किया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है उससे अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होता है। अतः प्रश्नगत मामले में अभियुक्तगण दोषसिद्ध किये जाने योग्य है, ऐसी याचना की गयी है।

13. मैंने विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण तथा परिवादी की ओर से उपस्थित प्राइवेट अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

14. वर्तमान प्रकरण में मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि **क्या अभियोजन पक्ष अपने कथानक को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है या नहीं ?**

– निष्कर्ष –

15. अभियुक्तगण के विरूद्ध यह आरोप है कि दिनांक 27.09.2010 को समय 07:00 बजे शाम व स्थान दरवाजा परिवादी वहद मोहल्ला शिवनरायन की मढ़ैया अन्तर्गत थानाक्षेत्र कोतवाली जिला इटावा में एकराय होकर परिवादी विनोद सक्सेना को लात,घूसों,जूता,चप्पलों से मारपीट कर कमरे में बंद कर दिया और कमरे में रखा हुआ जेवर सोने एक जंजीर,सोने की एक अंगूठी व सोने के कान के बाला व दस हजार रूपये लूट लिये ।

16. **धारा–395 भारतीय दण्ड संहिता** के अन्तर्गत जो कोई डकैती करेगा वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी,दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा

17. विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि आपराधिक मामलों में अभियोजन कथानक को सिद्ध करने का भार अभियोजनपक्ष पर होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **कलीराम बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश ए०आई०आर० 1973 एस०सी० 2773** में

प्रतिपादित किया गया है कि–

In a criminal trial the onus is upon the prosecution to prove the different ingredient of the offence and unless it discharges that onus,it cannot succeed.

18. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **दौलतराम बनाम पंजाब राज्य 1997(34)ए०सी०सी० 839** में प्रतिपादित किया गया है कि–

The prosecution has to stand on its own legs and can derive no advantage from the weakness of the defence.

19. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि किसी भी आपराधिक मामले को प्रमाणित करने का मूल एवं प्रारम्भिक दायित्व अभियोजनपक्ष पर है। यह भी सुस्थापित सिद्धान्त है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य उस गुणात्मक श्रेणी का हो,कि न्यायालय उसके आधार पर केवल एक ही निष्कर्ष निकाल सके कि अभियुक्त द्वारा आरोपित अपराध कारित किया गया है।

20. मौखिक साक्ष्य के रूप में अभियोजन पक्ष की ओर से उक्त आरोप को सिद्ध करने के लिये कुछ 3 साक्षीगण परीक्षित कराये गये है एवं दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श क–1 लगायत प्रदर्श क–3 साबित किये गये है।

21. अभियोजनपक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य द्वारा जो साक्ष्य दिया गया है वह निम्नवत हैः–

22. अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप को साबित करने के लिये अभियोजन की ओर से **पी०डब्लू०–1 विनोद कुमार,परिवादी** को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि दिनांक 27.09.2010 को समय करीब 07:00 बजे विपक्षी शीलू उर्फ सोमनाथ,मुन्ना वर्मा,पचहत्तर वर्मा और श्रीमती नामालूम पत्नी अंगनूमल जो पुरबिया टोला के रहने वाले हैं। उसके घर आये और बोले कि कीवाडें

खोलों,तुम्हारी बीबी अस्पताल में भर्ती है। उसने दरवाजा खोला दिया,तो वे लोग घर से अंदर घुस आये और उसे माँ बहिन की गालियां देते हुए कहने लगे कि वह अपनी बीबी को उसके घर आने जाने से क्यों रोकता है। वह बाल बच्चेदार है,तो इन लोगों ने जूतों,चप्पलों से मारपीट की और परिवादी के मुंह में शीलू और वीरेन्द ने चिल्लाने पर कपड़ा भर दिया था। उसकी ज्यादा मारपीट कर दी थी और वह बेहोश हो गया था और एक कमरे में बंद कर दिया था और कमरे में रखे बक्से में रखा हुआ जेवर एक जंजीर सोने की,एक सोने की अंगूठी,कान के बाला सोने के और 10,000/–रूपये ताला तोड़कर जबरदस्ती निकाल लिये। वीरेन्द्र व शीलू कट्टा लिये थे,जिन्होंने उसे जाने से मारने की धमकी देते हुए कहा था कि अगर थाने रिपोर्ट लिखाने गये तो,जान से मार देंगे। इस घटना के शोर पर वीरेन्द्र,राजवीर मोहल्ले के आ गये थे। इसके बाद थाने रिपोर्ट लिखाने गये थे,तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी थी। तब उसने एस०एस०पी०इटावा को दिनांक 28.09.2010 को प्रार्थनापत्र दिया था तथा रजिस्ट्री भी दी थी। इसके बाद कार्यवाही न होने पर न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था,जो पत्रावली में का०सं० 3क/1व 3क/2 है,जिसे **प्रदर्श क–1** के रूप में एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा को प्रेषित प्रार्थनापत्र को **प्रदर्श क–2** व रसीद रजिस्ट्री को **प्रदर्श क–3** के रूप में साबित किया है।

23. साक्षी पी०डब्लू०–1 विनोद कुमार ने जिरह में यह साक्ष्य दिया है कि शीलू वर्मा के यहाँ मेरा आना जाना था। मेरे घरेलू सम्बन्ध नहीं थे लेकिन शीलू के माता पिता व भाईयों का मेरे घर पर इस घटना के पहले से आना जाना था। शीलू घटना के दिन पान की दुकान लकड़ी के खोखें में किये था,मेरा घर पान की दुकान से 15 कदम आगे है। शीलू की दुकान रोड़ पर ही है,मेरे सामने अगल बगल जो भी मकानात है उनमें रिहायश है। राजवीर का मकान पक्का बाग में है और वह वहीं रहते है। यह राजवीर साक्षी पी०डब्लू०–2 है। वीरेन्द्र का मकान मेरे घर से एक गली छोड़कर बना हुआ

है जिसमें वह रहते है,वीरेन्द्र के आने जाने का रास्ता अलग है तथा मेरा रास्ता अलग है। वीरेन्द्र को अभियोजनपक्ष के द्वारा बतौर पी०डब्लू०–3 के रूप में परीक्षित कराया गया है। मेरी वीरेन्द्र व राजवीर से बीस साल से जान पहचान है। साक्षी ने जिरह में यह भी साक्ष्य दिया है कि इस घटना के एक माह पहले ही मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रह रही थी। शीलू व वीरेन्द्र के साथ चली गयी थी जब मेरी पत्नी को शीलू व वीरेन्द्र ले गये थे तब मैं घर पर नहीं था। मेरी लड़की पढ़कर आयी थी उसने मुझे बताया था कि मम्मी को शीलू व वीरेन्द्र ले गये है। मेरी बेटी का नाम राखी है,जिस दिन मेरे पत्नी चली गयी थी उस दिन मैं शाम 5:00 बजे रिक्शा चलाकर लौटा था,मेरे तीन बच्चे है जिनमें एक लड़की व दो लड़के है। लड़की सबसे बड़ी है,दोनों लड़कों को मेरी पत्नी साथ में लेकर गयी थी। मेरी बेटी ने मम्मी को जाते हुये देखा था उसकी कोई बातचीत मम्मी से नहीं हुयी थी। मेरी पत्नी को 5–6 आदमी जबरदस्ती ले गये थे,ले जाते समय पत्नी द्वारा शोर मचाया गया था या नहीं यह बात मेरी पुत्री ने मुझे नहीं बतायी थी। मेरी पत्नी सारा जेवर घर पर ही छोड़ गयी थी,मैंने जेवर अपनी कमाई से बनवाया था। इस जेवर की रसीद मुझे मिली थी जो मेरे घर पर ही है। वह रसीद मैंने पत्रावली में दाखिल नहीं की है और आज साथ में नहीं लाया है। मैं एक दिन में 600/–रूपये कमा लेता है,जिस समय की यह घटना है उस समय शीलू की मां की उम्र 40 वर्ष थी और उन्होंने भी मुझे मारापीटा था। शीलू वर्मा,मुन्ना वर्मा,पचहत्तर व उनकी मां के अलावा अन्य कोई अज्ञात नहीं था। मारपीट में चोटें नहीं आयी थी। मेरे मुँह में पूरा अंगौछा भर दिया था। मेरी मारपीट मुल्जिमानों ने घर में आते ही की थी। मारपीट के बाद मुँह में कपड़ा भरा था,मुझे शोर नहीं मचाने दिया था और मारपीट के पहले ही मुँह में कपड़ा भर दिया था। मुँह में कपड़ा भरने के बाद आवाज नहीं निकली थी। मुँह में कपड़ा राजवीर व वीरेन्द्र ने निकाला था। राजवीर व वीरेन्द्र मारपीट के दौरान ही आ गये थे। आसपास का कोई व्यक्ति मेरे पास बचाने नहीं आया क्योंकि ये लोग बदमाश थे और

वीरेन्द्र कट्टा लिये था।

24. इस साक्षी ने जिरह में यह भी साक्ष्य दिया है कि जब मुल्जिमान मेरे घर पर आये थे तब मैं अकेला ही घर पर था,मेरी पत्नी व बच्चे घर पर नहीं थे,मेरी पत्नी व बच्चों को शीलू भगाकर ले गये थे,जब मेरी पत्नी शीलू के साथ गयी थी तब उसकी उम्र 30 वर्ष थी उस वक्त बड़ा बेटा छःसाल का था और छोटा बेटा चार साल का था। मेरी पत्नी को मेरे पास से जाये लगभग 14 वर्ष हो गये है,मुझे जानकारी नहीं है कि मेरी पत्नी कहाँ रह रही है, फिर गवाह ने कहा कि शीलू के साथ रहती है। मेरी पत्नी शीलू के पास है इस बात को शीलू फोन द्वारा कई बार बता चुका है। शीलू का फोन किस नम्बर से आता है मैं इस समय नहीं बता सकता हूँ। यह धमकी बराबर 14 साल से दी जा रही है। मैंने धमकी के बाबत एस०एस०पी० व थाने में कई बार शिकायत की है,रिपोर्ट लिखी गयी है। धमकी के बाबत जो रिपोर्ट की थी उसका कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। मेरी पत्नी से इन 14 सालों में कोई बात नहीं हुयी है। शीलू कहाँ रह रहा है इसकी कोई जानकारी मुझे नहीं है। मुल्जिमानों द्वारा कपड़ा मुँह में ठूस देने वाली बात न्यायालय ने नहीं पूछी थी इसलिये मैंने नहीं बताया था। बयान धारा–200 द०प्र०संहिता जो दिनांक 16.01.2014 में हुआ में,मैंने स्वंय के साथ साथ बच्चों की मारपीट करना बताया था। मैंने उपरोक्त बयान में किसी अभियुक्त के पास तमन्चा होना व उससे डराने वाली बात नहीं बतायी थी। यह घटना मेरी पत्नी के चले जाने के बाद एक सप्ताह बाद मुल्जिमानों ने की थी। मारपीट में मुझे काफी चोटें आयी थी और मैं बेहोश हो गया था। होश मुझे 15–20 मिनट बाद आया था। पुलिस ने मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी और न ही कोई डाक्टरी करायी। गवाह ने कहा कि मेरी चोटों से खून निकला था।

25. **पी०डब्लू०–2 राजवीर** ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि दिनांक 27.09.2010 को समय करीब सात बजे शाम वह मजदूरी करके अपने घर आ रहा था जैसे ही विनोद के घर के पास पहुँचा तो

वह शोरगुल सुनकर विनोद के घर गया तो देखा कि विनोद के घर में शीलू,वीरेन्द्र,मुन्ना वर्मा,पचहत्तर वर्मा,श्रीमती देवी अगनूलाल की पत्नी व अगनूलाल मौजूद थे। विनोद के घर के अन्दर बक्से का सामान फैला हुआ था वहाँ पर उसके अलावा मुहल्ले के अन्य लोग आ गये थे,मुल्जिमानों ने विनोद को कमरे में बंद कर दिया था। विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये,तब उसने व वीरेन्द्र व अन्य लोगों ने विनोद को कमरे से निकाला तथा विनोद के मुॅह में ठूसा हुआ कपड़ा व रस्सी में बंधे हाथ भी खोले तब उसने घटना के बारे में बताया कि उपरोक्त मुल्जिमानों ने उसकी पत्नी मनोरमा का बहाना बनाकर के उससे जबरदस्ती दरवाजा खुलवाकर घुस आये और उसे गाली गलौज देते हुए लात,घूसों से मारा पीटा तथा उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसके हाथ–पैर बांधकर कमरे में बंद कर दिया था। उसके बक्से में रखा जेवर एक सोने की जंजीर,एक अंगूठी,कान के बाला तथा 10,000/–रूपये ताला तोड़कर लूट लिये थे तथा कट्टा निकालकर विनोद को धमकी दी थी कि साले अदालत गया तो जान से मार देंगे। विनोद ने यह भी बताया था कि उसकी पत्नी मनोरमा को जबरदस्ती ले जायेंगे। ये घटना उसने लाइट की रोशनी में देखी थी।

26. पी०डब्लू०–2 राजवीर ने जिरह में यह साक्ष्य दिया है कि मेरे मकान से विनोद कुमार के मकान की दूरी डेढ़ किमी०है। मैं पक्का बाब विकास कालोनी में रहता हूँ। मैं काम करके जब लौटता हूँ तो कभी कभी उसके घर जाता हूँ। विनोद मेरे साथ काम नहीं करते है,मेरी कोई रिश्तेदारी विनोद से नहीं है।

27. इस साक्षी ने जिरह में यह भी साक्ष्य दिया है कि विनोद के मकान का दरवाजा अन्दर से बंद नहीं था,खुला था जब मैं विनोद के मकान पर पहुँचा तो उस समय विनोद के अलावा उनकी पत्नी व तीनों बच्चें मौजूद थे जब मैं विनोद के घर पहुँचा तो वह पहले से बंधे पड़े थे उनके हाथ व पैर बंधे थे। हाथ आगे की ओर से बंधे थे,मुँह में कपड़ा ठूसा हुआ था। वह उस

समय बोल नहीं पा रहे थे। विनोद की पत्नी व तीनों बच्चें शोर मचा रहे थे उन्हीं लोगों के शोर पर ही मैं विनोद के घर पहुँचा था। मेरे सामने विनोद के हाथ पैर नहीं बांधे थे,न ही मुँह में कपड़ा ठूसा था। विनोद की पत्नी व बच्चों ने बताया था कि विनोद को कमरे में बंद कर दिया है,जैसे ही मैं विनोद के घर पहुँचा मुल्जिमान वहाँ से भाग गये थे। मैंने बक्से का ताला तोड़ते हुये किसी को नहीं देखा था,बक्सा पहले से खुला था,मैंने बक्से से सामान निकालते हुये भी किसी को नहीं देखा था। मैंने ही कमरे से विनोद को निकाला था,मैंने विनोद से कहा था कि पुलिस को सूचना कर दो। मैंने न्यायालय में इससे पूर्व भी बयान दिया था। मैंने दिनांक 29.09.2016 को न्यायालय में दिये बयान में यह नहीं बताया था कि शीलू तमन्चा लिये था। आज न्यायालय में भी नहीं बताया है कि तमन्चा शीलू लिये था। मैंने आसपास के लोगों के नाम,मौके पर आने वाले लोगों के नाम इसलिये नहीं बताये थे,क्योंकि मैं उनके नाम नहीं जानता था। रस्सी मैंने खोली थी,रस्सी की रगड़न हाथ,पैर में आ गयी थी उसे ध्यान नहीं है। विनोद के मुँह पर कोई चोट नहीं थी। कपड़ा मैंने निकाला था। मैं विनोद व उनकी पत्नी व तीनों बच्चों को छोड़कर अपने घर चला गया था।

28. **पी०डब्लू०–3 वीरेन्द्र कुमार** ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि घटना आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व सात बजे शाम की है। विनोद के घर पर तीन चार लोग आये थे उनमें शीलू भी था शीलू ने विनोद की बीबी को पकड़कर साथ ले जाने लगा और कहने लगा कि किसी ने कुछ किया तो गोली मार देगें शीलू ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर विनोद के घर में रखे दस हजार रूपये व विनोद की पत्नी का जेवर भी लूट कर जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये। घटना के समय वह मौजूद था उसने घटना देखी थी। हाजिर अदालत मुल्जिमानों को देखकर गवाह ने इशारा करके बताया कि लाल बनियान पहने शीलू है और उसके साथ लूट करने वाले भी मौजूद हैं। इन लोगों ने ही विनोद के घर में घुसकर लूटपाट की थी

और विनोद की पत्नी को शीलू भगा ले गया था। इससे पूर्व भी उसने उक्त घटना के संबंध में बयान दिया था।

29. साक्षी पी०डब्लू०–3 वीरेन्द्र कुमार ने जिरह में यह साक्ष्य दिया है कि विनोद परिवादी मुकदमा मेरा सगा भाई है। विनोद और मैं एक ही मकान में नहीं रहते है। मैं विनोद के मकान से दो गली छोड़कर रहता हूँ। मैं घटना के समय घर के अन्दर मौजूद था। मैं घटनास्थल पर मुल्जिमानों के बाद पहुँचा था। मुल्जिमानों के पास में मैंने कोई हथियार नहीं देखा था। कुल चार लोग विनोद के घर आये थे,जब मैं मकान में घुसा तो विनोद के मुँह में कपड़ा ठुसा हुआ था। मैंने मुल्जिमानों को विनोद के मुँह में कपड़ा घुसेड़ते हुये देखा था,कपड़ा सिर्फ शीलू ने घुसेड़ा था। मैंने पूर्व में न्यायालय में दिये बयान में यह बताया था कि मुल्जिमान ने विनोद के मुँह में कपड़ा घुसेड़ना बताया था यदि नहीं लिखा तो उसकी वजह नहीं बता सकता। विनोद के हाथ भी बंधे हुये थे,मैंने मुल्जिमानों को विनोद के हाथ बांधते हुये देखा था। न्यायालय में पूर्व में दिये बयान में यदि मुल्जिमान द्वारा विनोद के हाथ बांधने वाली बात नहीं लिखी है तो मैं नहीं बता सकता। विनोद की पत्नी मौके पर थी। विनोद की पत्नी घर पर थी,बच्चे घर पर नहीं थे। घटना के समय शोरगुल पर मुहल्ले के 15–20 लोग आ गये थे। मैंने अपने भाई को बताया था कि मुल्जिमानों ने मेरे साथ कोई मारपीट नहीं की थी। बीच बचाव में मेरे खरोचें भी नहीं आयी थी। फूल दुलारी व अगनूमल विनोद के घर के अन्दर मौजूद नहीं थे।

30. बचावपक्ष द्वारा यह तर्क किया गया कि साक्षी पी०डब्लू०–2 वादी मुकदमा पी०डब्लू०–1 के बहिनोई है तथा पी०डब्लू०–3 वादी मुकदमा पी०डब्लू०–1 के सगे भाई है साथ ही साथ यह भी तर्क किया गया कि जब घटना घटित होना अभियोजन द्वारा बताया जाता है तो उस समय मौके पर अन्य लोग भी मौजूद थे परन्तु उनमें से अभियोजन पक्ष के द्वारा किसी भी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। इस बिन्दु पर यह

स्पष्ट किया जाता है कि यदि साक्षीगण आपस में रिश्तेदार है तो मात्र इस आधार पर साक्षीगण का साक्ष्य अविश्सनीय नहीं हो जाता है,अपितु न्यायालय को सूक्ष्म गहनता से इनके साक्ष्य का परीक्षण करना आवश्यक होता है। जहाँ तक स्वतंत्र साक्षी परीक्षित न कराये जाने का प्रश्न है तो यहाँ पर यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी मामले को साबित करने के लिये साक्षियों की संख्या विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है,अपितु यह देखा जाना आवश्यक है कि जो साक्षी परीक्षित हुये है क्या उनसे अभियोजन कथानक युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होता है अथवा नहीं। इस मामले में अभियोजन द्वारा कुल तीन साक्षी परीक्षित कराये गये है,यदि बचावपक्ष का यह तर्क मान भी लिया जाये कि सभी साक्षीगण आपस में रिश्तेदार है तो मात्र हितबद्धता के आधार पर साक्षीगण का साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं हो जाता है।

31. इस बिन्दु पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **जयाबालन यूनियन टेरीटेरी ऑफ पाण्डिचेरी,2010 क्रि०लॉ०ज०,पेज 2234** विचारणीय है,जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि हितबद्ध साक्षीगण का साक्ष्य इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि वह पीड़ित पक्षकार का निकट सम्बन्धी है।

32. इस सम्बन्ध में **माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था Surider Kumar Vs State of Punjab** (2020) **2 SCC** 563 विचारणीय है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त विधि व्यवस्था में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि–

If a witness examined in the court is otherwise found reliable and trustworthy, the fact sought to be proved by that witness need not be further proved through other witnesses though there may be other witnesses available who could have been examined but were not examined. Non-examination of material witness is not a mathematical formula for discarding the weight of the testimony available on record however natural, trustworthy and convincing it

may be. It is settled law that non-examination of eye-witness cannot be pressed into service like a ritualistic formula for discarding the prosecution case with a stroke of pen. Court can convict an accused on statement of sole witness even if he is relative of the deceased and non examination of independent witness would not be fatal to the case of prosecution. Non-examination of independent eye witnesses is inconsequential if the witness was won over or terrorised by the accused.

अतः उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश में बचावपक्ष का तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

33. परिवादपत्र एवं परिवादी द्वारा बतौर पी०डब्लू०–1 सशपथ बयान दिया गया है कि उसने इस घटना के बाबत एस०एस०पी०इटावा को दिनांक 28.09.2010 को प्रार्थनापत्र दिया था और उसकी रजिस्ट्री भी की थी। अभियोजन के द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा को प्रेषित प्रार्थनापत्र को बतौर प्रदर्श क–2 एवं रजिस्ट्री रसीद को प्रदर्श क–3 के रूप में साबित कराया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा को प्रेषित प्रार्थनापत्र प्रदर्श क–2 में जो तिथि अंकित है वह परिवादपत्र प्रदर्श क–1 एवं परिवादी पी०डब्लू०–1 के मुख्य बयान से नितान्त भिन्न है। प्रदर्श क–2 में घटना दिनांक 27.09.2010 के बारे में कोई भी अभिकथन नहीं किया गया है। परिवादी द्वारा मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया गया है कि उसने एस० एस० पी० इटावा को दिनांक 28.09.2010 को प्रार्थनापत्र दिया था,परन्तु प्रदर्श क–2 पर जो तिथि अंकित है वह तिथि 05.11.2012 की अंकित है,इससे साक्षी पी०डब्लू०–1 का यह साक्ष्य कि उसने दिनांक 28.09.2010 को एस० एस०पी०इटावा को प्रार्थनापत्र दिया था साबित नहीं होता है,यद्यपि मात्र इस कारण से ही अभियोजन कथानक को सम्पूर्ण रूप से इंकार नहीं किया जा सकता है अन्य साक्ष्यों का भी विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।

34. परिवादपत्र में परिवादी ने यह अभिकथन किया है कि घटना दिनांक 27.09.2010 को समय करीब 07:00 बजे सभी विपक्षीगण उसके

घर आये और परिवादी के दरवाजा खोलते ही विपक्षीगण उससे गाली गलौज करने लगे और विपक्षीगण यह भी कहे कि वह अपनी पत्नी मनोरमा को विपक्षीगण के घर आने व मिलने से क्यों रोकता है जब परिवादी ने मना किया तब परिवादी की पिटाई विपक्षीगण ने की और जब वह चिल्लाया तो शीलू व वीरेन्द्र ने उसके मुँह में कपड़ा ठूस दिया। परिवादपत्र में यह भी कथन है कि इस घटना को राजवीर व वीरेन्द्र व मुहल्ले के तमाम लोगों ने देखा व सुना है। परिवादपत्र में उल्लिखित अभिकथनों से यह स्पष्ट होता है कि इस घटना को चश्मदीद साक्षीगण राजवीर व वीरेन्द्र के द्वारा देखा व सुना भी गया है। साक्षी पी०डब्लू०–1 ने जिरह के पेज नम्बर–5 पर यह साक्ष्य दिया है कि जब मुल्जिमान उसके घर पर आये थे तब वह अकेला ही घर पर था उसकी पत्नी व बच्चे घर पर नहीं थे उसकी पत्नी बच्चों को शीलू भगाकर ले गये थे,जबकि साक्षी पी०डब्लू०–2 ने जिरह के पेज नम्बर–2 पर यह साक्ष्य दिया है कि जब वह विनोद के मकान पर पहुँचा तो उस समय विनोद के अलावा उसकी पत्नी व तीनों बच्चे मौजूद थे। साक्षी पी०डब्लू०–2 ने यह भी साक्ष्य दिया है कि विनोद की पत्नी व तीनों बच्चें शोर मचा रहे थे और उन्हीं लोगों के ही शोर पर ही वह विनोद के घर पर पहुँचा था। साक्षी पी०डब्लू०–2 के साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि जिस समय घटना घटी उस समय परिवादी की पत्नी व बच्चें भी उसके घर पर मौजूद थे,जबकि परिवादी ने यह साक्ष्य दिया है कि उसकी पत्नी घटना के समय घर पर नहीं थी। परिवादी ने जिरह के पेज नम्बर 5 पर यह साक्ष्य दिया है कि उसकी पत्नी को उसके पास से गये हुये 14 वर्ष हो गये है। साक्षी पी०डब्लू०–1 ने जिरह के पेज नम्बर–6 पर यह भी साक्ष्य दिया है कि यह घटना मेरी पत्नी के चले जाने के एक सप्ताह बाद मुल्जिमानों ने घटित की थी। इसी प्रकार साक्षी पी०डब्लू०–1 ने जिरह के पेज नम्बर–2 पर यह साक्ष्य दिया है कि इस घटना के एक माह पहले से उसकी पत्नी उसके साथ नहीं रह रही थी,जब उसकी पत्नी को शीलू व वीरेन्द्र ले गये थे तब वह घर पर नहीं था।

इस प्रकार साक्षीगण के साक्ष्य में विरोधाभासी तथ्य है। इसी प्रकार साक्षी पी०डब्लू०–3 ने मुख्य परीक्षा में ही यह साक्ष्य दिया है कि शीलू विनोद की पत्नी को पकड़कर साथ ले जाने लगा और कहने लगा कि किसी ने कुछ किया तो गोली मार दूंगा,जबकि वादी ने उपरोक्त उल्लिखित में यह स्पष्ट साक्ष्य दिया है कि इस घटना से पहले ही उसकी पत्नी शीलू के साथ चली गयी थी। साक्षी पी०डब्लू०–3 ने जिरह के पेज नम्बर–2 पर यह साक्ष्य दिया है कि वह घटना के समय घर के अन्दर मौजूद था,जबकि परिवादपत्र में और परिवादी ने मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि वह घटना के समय घर पर अकेला था। परिवादी ने यह साक्ष्य दिया है कि मुल्जिमानों के पास तमन्चा था,जबकि साक्षी पी०डब्लू०–3 ने जिरह के पेज नम्बर–2 पर यह साक्ष्य दिया है कि मुल्जिमानों के पास में उसने कोई हथियार नहीं देखा था। इसी प्रकार साक्षी पी०डब्लू०–3 ने जिरह के पेज नम्बर–2 पर यह साक्ष्य दिया है कि उसने मुल्जिमानों को विनोद के मुँह में कपड़ा घुसेड़ते हुये देखा था,उसने मुल्जिमानों को विनोद के हाथ बांधते हुये देखा था,विनोद की पत्नी मौके पर थी,जबकि परिवादी ने परिवादपत्र में व न्यायालय में मुख्य परीक्षा में ही इन समस्त कथनों से इंकार किया है और परिवादी द्वारा यह साक्ष्य दिया गया है कि वह घटना के समय अकेला था। परिवादपत्र में यह कथन किया गया है कि उसके चिल्लाने पर साक्षीगण पी०डब्लू०–2 व पी०डब्लू०–3 आये जबकि साक्षी पी०डब्लू०–1 ने जिरह के पेज नम्बर–3 पर यह साक्ष्य दिया है कि उसकी मारपीट मुल्जिमानों ने घर में आते ही की थी,मारपीट के बाद मुँह में कपड़ा भरा था,उसे शोर नहीं मचाने दिया था और मारपीट के पहले ही मुँह में कपड़ा भर दिया था। मुँह में कपड़ा भरने के बाद आवाज नहीं निकली थी इससे बचावपक्ष का यह तर्क कि जब परिवादी के मुँह में कपड़ा भरा हुआ था तो उसने शोर कैसे मचाया और जब कोई शोर हुआ ही नहीं तो मौके पर साक्षी पी०डब्लू०–2 व पी०डब्लू०–3 कैसे आ गये। साक्षी पी०डब्लू०–2 ने भी जिरह के पेज नम्बर–2 पर यह साक्ष्य दिया है कि मुँह

में कपड़ा ठुसा हुआ था वह उस समय बोल नहीं पा रहे थे। परिवादपत्र में परिवादी का हाथ रस्सी से बांधने व परिवादी के मुँह में कपड़ा ठूसने का कथन किया गया है,परन्तु इस बाबत कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है,जब इस सम्बन्ध में स्पष्ट प्रश्न पूछा गया तो साक्षी पी०डब्लू०–2 ने यह साक्ष्य दिया है कि रस्सी की रगड़न हाथ पैर में आ गयी थी या नहीं उसे ध्यान नहीं है। विनोद कुमार के मुँह में कोई चोट नहीं थी,जब कपड़ा उसने निकाला था। परिवादी द्वारा जिरह में यह साक्ष्य दिया गया है कि उसकी चोटों से खून निकला था परन्तु इस सम्बन्ध में न तो कोई चिकित्सीय प्रपपत्र दाखिल किया गया है और न ही साक्षी पी०डब्लू०–2 व पी०डब्लू०–3 की साक्ष्य में आया है कि उसको इतनी चोट लगी कि उससे खून निकला था,अपितु यह साक्ष्य आया है कि उसे केवल चाटें मारे गये थे। इस प्रकार साक्षीगण की साक्ष्य से अभियोजन कथानक संदेह की परिधि में आता है। उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि साक्षीगण की साक्ष्य में जो विरोधाभास आया है वह इस प्रकृति का है कि अभियोजन कथानक को संदेह की परिधि में लाता है। अभियोजन द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है उनके साक्ष्य में आपस में विरोधाभाष है तथा अभियोजन कथानक को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं करते है।

35. **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बसन्तराव गुड़े बनाम स्टेट ऑफमध्य प्रदेश क्रि०अपील संख्या–1279/2017 दिनांकित 09.08.17** में यह अवधारित किया है कि–आपराधिक मुकदमें में सफल होने के लिये अभियोजनपक्ष को अपने मामले को ऐसे उचित संदेह से परे साबित करना होगा और इसे ''सत्य होना चाहिये'' श्रेणी के दायरे में रखना चाहिये और इसे'' सत्य हो सकता है'' के श्रेणी के बाहर का होना चाहिये। आपराधिक विधि साक्ष्य में अभियुक्त की निर्दोषिता की उपधारण की जाती है जब तक कि विधि के अन्तर्गत उसके विरूद्ध अन्य कोई प्रतिकूल उपधारणा न हो। अभियोजन को अपना केस संदेह से परे साबित करना आवश्यक होता

है। प्रस्तुत प्रकरण धारा–395 भा०द०संहिता से सम्बन्धित है,जोकि गंभीर प्रकृति का है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन की ओर से जो साक्षी परीक्षित कराये गये है उनके साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है। प्रकरण में परिवादी द्वारा स्वंय को चोटें आना और चोटों से खूना आना बताया गया है,जबकि इस सम्बन्ध में स्वंय परिवादी द्वारा कोई चिकित्सीय प्रपत्र दाखिल नहीं किया गया है। परिवादी द्वारा कथित घटना के समय स्वंय को अकेला होना बताया है, जबकि साक्षी पी०डब्लू०–2 राजवीर,जोकि घटना का चश्मदीद साक्षी बताया जाता है के द्वारा यह साक्ष्य दिया गया है कि घटना के समय विनोद के अलावा उसकी पत्नी व तीनों बच्चें भी मौजूद थे,जबकि परिवादी का यह साक्ष्य है कि उसकी पत्नी घटना के समय घर पर नहीं थी और उसकी पत्नी को उसके पास जाये हुये लगभग 14 वर्ष हो चुके है। परिवादी का यह भी साक्ष्य है कि उसकी पत्नी शीलू के साथ रह रही है। इसी प्रकार अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू०–3 की साक्ष्य में यह आया है कि शीलू विनोद की पत्नी को पकड़कर साथ ले जाने लगा और कहने लगा कि किसी ने कुछ किया तो गोली मार दूंगा,जबकि स्वंय परिवादी ने यह साक्ष्य दिया है कि कथित घटना से पहले ही उसकी पत्नी शीलू के साथ चली गयी थी। साक्षी पी०डब्लू०–3 ने यह भी साक्ष्य दिया है कि वह कथित घटना के समय घर के अन्दर मौजूद था,जबकि परिवादपत्र व परिवादी की साक्ष्य में यह आया है कि वह घटना के समय घर पर अकेला था। अभियोजन की ओर से परीक्षित चश्मदीद साक्षियों राजवीर व वीरेन्द्र की साक्ष्य में मौके पर पहुँचने के सम्बन्ध में भी विरोधाभास प्रकट होता है,क्योंकि परिवादी द्वारा यह साक्ष्य दिया गया है कि मुल्जिमानों ने उसके मुँह में कपड़ा ठूस दिया था इसलिये वह शोर नहीं मचा सका,तो ऐसी स्थिति में उपरोक्त साक्षियों का मौके पर पहुँचा संदेह उत्पन्न करता है। इस प्रकार उक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य इस प्रकार का नहीं है कि उसे सत्य होना चाहिये की श्रेणी के दायरे में

रखा जाये।

36. उपरोक्त सम्पूर्ण मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण शीलू उर्फ सोमनाथ,मुन्ना वर्मा,पचहत्तर वर्मा,अगनूमल व वीरेन्द्र के विरूद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अभियुक्तगण उपरोक्त उपरोक्त लगाये गये आरोप से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण **शीलू उर्फ सोमनाथ,मुन्ना वर्मा,पचहत्तर वर्मा, अगनूमल व वीरेन्द्र** को धारा–395 भा०द०संहिता के दण्डनीय अपराध के आरोपों से संदेह का लाभ देते हुये दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं उनके स्वबन्धपत्र निरस्त किये जाते है तथा प्रतिभूओं को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा धारा–437(A)द०प्र०संहिता के तहत मुवलिग 20,000/–20,000/–रूपये की दो दो जमानतें अन्दर सप्ताह पेश की जाये,जो निर्णय उपरान्त 6 माह तक प्रभावी रहेगी।

दिनांक–17.04.2026 **(आलोक कुमार श्रीवास्तव)**
विशेष न्यायाधीश(द०प्र०क्षे०अधि०) इटावा।
J.O.Code NO.U.P1546

यह निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक–17.04.2026 **(आलोक कुमार श्रीवास्तव)**
विशेष न्यायाधीश(द०प्र०क्षे०अधि०) इटावा।
J.O.Code NO.U.P1546

J.O.Code UP1546
(**Alok Kumar Srivastava**)
Special Judge (**DAA Act**)**Etawah**.

परिशिष्ट–अ

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **दाण्डिक अपील संख्या (एस) 2973/2023 मनोज भाई जेठा भाई परमार (रोहित) बनाम गुजरात राज्य** में पारित निर्णय दिनांकित 15.12.2025 में जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना ।

जांचे गये गवाहों की सूची

अभियोजन गवाह संख्या	**अभियोजन गवाह का नाम**	**विवरण**
पी०डब्लू०–1	विनोद कुमार	परिवादी
पी०डब्लू०–2	राजवीर	चश्मदीद साक्षी
पी०डब्लू०–3	वीरेन्द्र कुमार	चश्मदीद साक्षी

प्रदर्शित दस्तावेजों की सूची

प्रदर्श नम्बर	**प्रदर्श का विवरण**	**किसके द्वारा सत्यापित/साबित किया**
प्रदर्श क–1	परिवादपत्र	पी०डब्लू०–1 विनोद कुमार
प्रदर्श क–2	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा को प्रेषित प्रार्थनापत्र	पी०डब्लू०–1 विनोद कुमार
प्रदर्श क–3	रजिस्ट्री की रसीद	पी०डब्लू०–1 विनोद कुमार

J.O.Code UP1546

(**Alok Kumar Srivastava**)

Special Judge (**DAA Act**)**Etawah**.

विशेष वाद संख्या–74/2014
विनोद बनाम शीलू आदि।

दिनांक–17.04.2026 **(आलोक कुमार श्रीवास्तव)**
विशेष न्यायाधीश(द०प्र०क्षे०अधि०)इटावा।
J.O.Code NO.U.P1546

J.O.Code UP1546
(**Alok Kumar Srivastava**)
Special Judge (**DAA Act**)**Etawah**.